संख्या-२/2015/2464/14-5-2015-123/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख सचिव/सचिव

1- **आवास विभाग**
2- **लघु उद्योग विभाग**
3- **खादी एवं गामोद्योग विभाग**
4- **हथकरघा उद्योग विभाग**
5- **भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग**
6- **ऊर्जा विभाग**
7- **उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग**
8- **कृषि विभाग**
9- **भूमि विकास एवं जलसंसाधन विभाग**
10- **ग्राम्य विकास विभाग**
11- **पंचायती राज विभाग**
12- **पशुधन विभाग**
13- **दुग्ध विकास विभाग**
14- **मत्स्य विकास विभाग**
15- **सहकारिता विभाग**
16- **गन्ना विकास विभाग**
17- **नगर विकास विभाग**
18- **पर्यावरण विभाग**
19- **राजस्व विभाग**
20- **लोक निर्माण विभाग**
21- **सिंचाई विभाग**
22- **रेशम विकास विभाग**

वन अनुभाग-5 **लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर**, 201**5**

विषयः **विभिन्न भूमि उपयोग वाले विभागों के आयोजनगत बजट के** 0.5 **प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यो के लिए आवंटित कर उपयोग करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2332/14-प0भू0वि0/2001 दिनांक 26-11-2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2001-2 हेतु विभिन्न भूमि उपयोग वाले विभागों को आयोजनागत बजट में से 0.5 प्रतिशत धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराने तथा शासनादेश संख्या-973/14-प0भू0वि0/2001 दिनांक 18-06-2001 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को वृक्षारोपण के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि शहरीकरण आदि से निरन्तर वन भूमि में कमी आ रही है जिसके दृष्टिगत सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। वृक्षारोपण कार्य एक मौसम आधारित कार्य है जो एक निश्चित अवधि में ही सम्पादित किया जाता है। चूकि वित्तीय वर्ष 2001-02 के प्राविधान आगामी वर्षो के बजट से धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश निर्गत न होने के कारण वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है जिससे वृक्षारोपण का कार्य प्रभावित हो रहा है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित विभाग अपने आयोजनागत पक्ष में प्राप्त/आवंटित बजट का 0.5 प्रतिशत धनराशि वानिकी कार्यो हेतु स्वयं व्यय करें अथवा वन विभाग को उपलब्ध करा दें। विभाग उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से वन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-2464(1)/14-5-2015-123/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से
(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in